(179)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1077–दो/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–01–2007 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 254/2006–07 निगरानी

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद ब्राहमण
ग्राम बिरहा फत्तेराम तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 254/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–1–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार तहसील हनुमना ने प्रकरण कमांक 49 अ–19/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 15–9–1998 से ग्राम विरहा फतेराम की शासकीय नाला भूमि सर्वे कमांक 219 एंव 227 कुल किता 2 कुल रकवा 0.72 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किया। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने नायव तहसीलदार के प्रकरण के परीक्षण पर अनियमिततायें पाने से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को प्रस्तुत किया। कलेक्टर रीवा ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 20 अ–19 /2005–06 पॅजीबद्ध किया तथा

आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 3-4-2006 अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलेक्टर रीवा ने आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23-10-06 पारित किया तथा भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 15-9-98 निरस्त कर दिया। आवेदक ने कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 254/06-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-1-2007 से निगरानी अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि चकसुधार की दृष्टि से व्यवस्थापित की गई है। इस्तहार का प्रकाशन सही ढंग से कराया गया है किसी ग्रामीण की आपत्ति नहीं आई है। हलका पटवारी का प्रतिवेदन आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापन किये जाने का है। खसरों की नोइयत नाला दर्ज थी किन्तु व्यवस्थापन के वाद काविलकास्त होकर आवेदक की निजी भूमि सम्मिलित हो गई है मौके पर खेती हो रही है इसलिये संहिता की धारा 237 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। कलेक्टर ने कानूनी मंशा के विपरीत जाकर निर्णय लिया है इसलिये कलेक्टर रीवा एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जॉय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 22-1-2007 एंव कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 23-10-2006 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार तहसील हनुमना ने प्रकरण कमांक 49 अ-19/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 15-9-1998 से आवेदक के हित में वादग्रस्त भूमि व्यवस्थापित की है जबकि मूलरूप में भूमि नाला नोईयत थी। मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 29 में प्रावधान है कि ऐसे नदी नाले, जिनमें हमेशा अथवा

8 माह से अधिक पानी रहता है अथवा निकलता है ऐसी नाले की भूमि का आवंटन नहीं किया जावेगा, यदि नदी-नाले की सतह स्थित भूमि उपलब्ध है, शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप घोष विक्रय के आधार पर भूमि आवंटित की जावेगी, परन्तु नायव तहसीलदार ने नाले की पनभराव भूमि आवंटित करते समय इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने नायव तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण कर बताया है कि भूमि का व्यवस्थापन करने के पूर्व संहिता की धारा 237 सहपठित 234 के अनुरूप नाला भूमि की नोईयत परिवर्तित नहीं कराई गई है। ग्राम पंचायत से सार्वजनिक हित वावत् प्रस्ताव/ठहराव प्राप्त नहीं किया गया है इस्तहार का सम्यक प्रकाशन भी नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का पुराना कब्जा भी शासकीय अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 23-10-2006 पारित करके नायव तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-10-06 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 254/06-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-1-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर